

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072025-264251 CG-DL-E-01072025-264251

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384] No. 384]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2025/आषाढ़ 6, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2025/ASHADHA 6, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2025

सा.का.नि. 427(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) और धारा 2 के खंड (87) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) संशोधन नियम, 2025 है।
- (2) ये 14 जुलाई, 2025 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियम, 2017 में, उपाबंध में, प्ररूप सीआरएल-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

4244 GI/2025 (1)

प्ररूप सं. सीआरएल-1 लेयर्स की संख्या के संबंध में विवरणी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के परंतुक और कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के नियम 2(4)(i) के अनुसरण में]



प्ररूप की भाषा

अंग्रेजी

हिंदी

प्ररूप फाइल करते समय अनुदेशिका किट का संदर्भ लें *से चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य हैं।

कंपनी की सूचना	
1. (क) * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):	
2. (क) कंपनी का नाम	
(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	
(ग) कंपनी की *ई-मेल आईडी	
अनुषंगी संबंधी सूचना	
3. * इन नियमों के लागू होने की तारीख पर अनुषंगी लेयर्स की संख्या	
4. प्रत्येक लेयर में अनुषंगियों की संख्या	
* लेयर्स 1	
* कुल	

5. अनुषंगी कंपनी का विवरण

	अनुषंगी कंपनी का विवरण			होल्डिंग कंपनी का विवरण			
क्र.सं.	पंजीकरण के प्रकार का चयन करें	पंजीकरण संख्या दर्ज करें	अनुषंगी का नाम	पंजीकरण के प्रकार का चयन करें	पंजीकरण संख्या दर्ज करें	होल्डिंग का नाम	होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित शेयर का %
एसएल1-1		V		V)		
एसएल1-2		V		■			

वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें हटाना	डाउनलोड
घोषणा मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संकल्प संख्या के तहत इस प्ररूप पर हस्ता तथा इससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस प्ररू तथा कोई भी जानकारी छिपाई या दबाई नहीं गई है।	r, 2013 तथा उसके अधीन	करने के लिए अधिकृत हूँ कि इस बनाए गए नियमों की सभी अपे	ोक्षाओं का अनुपालन <u>े</u>
* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना		डीएससी वॉक्स	
*पदनाम <i>(निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ)</i>			
*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक/ सी या पैन/या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या	ोईओ/सीएफओ का डीआईए	सेव कर	जमा करें
टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 अं झूठे बयान/प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के			ुं जो क्रमशः
यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी र बयान के आधार पर लिया गया है।	जिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइ	ल पर और कंपनी द्वारा दिए ग	ए शुद्धता के
केवल कार्यालय उपयोग के लिए:			
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)			
ई-प्ररूप फाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)			

[फा. सं. 01/13/2013-सीएल-V (खंड-V)]

बालामुरुगन डी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1176 (अ), तारीख 20 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2025

G.S.R. 427(E).— In exercise of the powers conferred by proviso to clause (87) of section 2 and subsections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017 namely:—

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Companies (Restriction on number of layers) Amendment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the 14th day of July, 2025.
- 2. In the Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017, in the Annexure, for Form CRL-
- 1, the following form shall be substituted, namely: —

Form No. CRL-1

Return regarding number of layers

[Pursuant to proviso to section 2(87) of the Companies Act, 2013 and rule 2(4)(i) of the Companies (Restriction on number of layer) Rules, 2017]



Form language

English

Hindi

Refer instruction kit for filing the form
All fields marked * are mandatory

All fields marked * are mandatory	
Company Information	
1 *Corporate Identity Number (CIN)	
2 (a) *Name of the company	
(b) *Address of the registered office of the company	
(c) *E-mail ID of the company	
Subsidiaries Information	
3*Number of layers of subsidiaries as on the date of commencement of these rules	
4 Number of subsidiaries in each layer	
*Layer 1	
*Total	

5 Subsidiaries Company Details

	Subsidiary Company details			Holding Company details			
Sr.no	Select type of registration	Enter the registration number	Name of Subsidiary	Select type of registration	Enter the registration number	Name of Holding	% of share held by Holding company
SL1-1		lacksquare			V		
SL1-2		V			▼		

Attachments				
Optional attachment(s) - if any	Max 2 MB	Choose	Remove	Download
Declaration				
I am authorised by the Board of Directors of the Comp	pany vide resolution number	r*		
dated (DD/MM/YYYY)* of the Companies Act, 2013 and the rules made ther incidental thereto have been complied with. I further contained in the form is true, correct and complete and	declare that the informatio	ibject matter on of the subsi	of this form diaries and	and matters
* To be digitally signed by			DSC BOX	
*Desigantion (Director/Manager/Company Secretary/CEO/CFO)				lacksquare
*Director identification number of the director; or DIN CEO/CFO; or Membership number of the Company				
			Save	Submit
Note: Attention is also drawn to provisions of Sect punishment for false statement / certificate and pun				ch provide fo
This eForm has been taken on file maintained by the basis of statement of correctness given by the comp		s through elec	ctronic mo	de and on th
For office use only:				
eForm Service request number (SRN)				
eForm filing date (DD/MM/YYYY)				
		[F. No. 01/	/13/2013-C	L-V (Vol.V)]
		BALAMI	URUGAN	D, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide notification number G.S.R. 1176(E), dated the 20^{th} September, 2017.